भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

11.12.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 3729 का उत्तर

वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना

3729. श्री ए.के.पी. चिनराजः

श्री हेमन्त पाटिलः

श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

श्री विनायक भाऊराव राऊतः

डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेल दुर्घटनाओं में वृद्धि के मद्देनज़र सरकार ने प्रायोगिक आधार पर वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना (ओटीआईएस) शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी शुरुआत से लेकर अब तक यात्रियों से संग्रहित बीमा प्रीमियम की कुल राशि कितनी है;

(ग) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ओटीआईएस चुनने वाले और रेल दुर्घटना से पीड़ित होने वाले रेल यात्रियों को कितना मुआवजा दिया गया है;

(घ) क्या हाल ही में यात्रियों से संग्रहित किए जाने वाले बीमा प्रीमियम में वृद्धि की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) यात्रियों को बीमा सुविधा प्रदान करने के लिए आईआरसीटीसी द्वारा किन कंपनियों का चयन किया गया है;

(छ) क्या सरकार ने ओटीआईएस चुनने के लाभ के बारे में रेल यात्रियों में जागरूकता फैलाई है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ज): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

Sk

वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना के संबंध में दिनांक 11.12.2019 को लोक सभा में श्री ए.के.पी. चिनराज, श्री हेमन्त पाटिल, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री विनायक भाऊराव राऊत और डॉ. हिना विजयकुमार गावीत के अतारांकित प्रश्न सं. 3729 के भाग (क) से (ज) के उत्तर से संबंधित विवरण

(क) और (ख): जी हां। पुष्टिशुदा/आरएसी रेल यात्रियों, जो इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी), जो रेल मंत्रालय के पूर्ण स्वामित्व वाला उपक्रम है, की आधिकारिक वेबसाईट के माध्यम से ऑन-लाइन टिकट बुक कराते हैं, के लिए 01.09.2016 से 10 लाख रु. तक कवर करने वाली एक वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना शुरू की गई थी।

01.10.2018 से, इस योजना के लिए प्रति यात्री प्रति ट्रिप प्रीमियम 0.49 रु. (सभी करों सहित) है। इस योजना के तहत, रेल अधिनियम, 1989 की 124 और 124ए के साथ पठित धारा 123 के तहत यथा परिभाषित रेलगाड़ी दुर्घटना/अप्रिय घटनाओं के कारण आरक्षित रेल यात्रियों की मृत्यु/चोट के मामले में, पीड़ित/परिवार या पीड़ित के कानूनी वारिस, जैसा भी मामला हो, को बीमाकृत राशि का भुगतान किया जाता है।

बीमा का कवरेज गाड़ी की 'इनट्रेनिंग प्रक्रिया' 'डिट्रेनिंग प्रक्रिया' सहित प्रारंभिक स्टेशन से गाड़ी के वास्तविक प्रस्थान से रेलगाड़ी के गंतव्य स्टेशन पर वास्तविक आगमन तक मान्य है।

पीड़ित/परिवार या पीड़ित के कानूनी वारिस को दी जाने वाली बीमा की सुनिश्चित राशि निम्नानुसार है।

(i) मृत्यु के मामले में - 10 लाख रु.

(ii) स्थायी रूप से पूर्ण निःशक्तता-10 लाख रु.

(iii) स्थायी रूप से आंशिक निःशक्तता-7.5 लाख रु. तक

(iv) घायल के लिए अस्पताल में होने वाला व्यय-2 लाख रु.

(v) पार्थिव शरीर के परिवहन के लिए- 10 हजार रु.

इसके आरंभ से यात्रियों से वसूल किए गए बीमा प्रीमियम की कुल राशि 19.47 करोड़ रु. है।

(ग): बीमा कंपनियों द्वारा पीड़ितों को नवम्बर 2017 से नवम्बर 2019 तक भुगतान की गई क्षतिपूर्ति की राशि निम्नानुसार है।

कंपनी	भुगतान की गई क्षतिपूर्ति की राशि (करोड़ रु. में)
श्रीराम सामान्य बीमा कंपनी लिमिटेड	2.35
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड (सितम्बर 2018 में करार समाप्त हो चुका है)	1.34
रॉयल सुंदरम (सितम्बर 2018 में करार समाप्त हो चुका है)	1.50
भारती अक्सा सामान्य बीमा (अक्टूबर 2018 में करार हुआ है)	.25
बजाज आलियांज सामान्य बीमा(अक्टूबर 2018 में करार हुआ है)	.70
कुल	6.14

(घ) और (ङ): जी नहीं।

01.09.2016 से 09.12.2016 तक, यात्रियों से प्रति ट्रिप .92 रु. का प्रीमियम वसूल किया गया।

डिजिटल और कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के सरकार के निर्णय के अनुसार, 10.12.2016 से 31.08.2018 तक, ई-टिकट ऑन-लाइन बुकिंग करने वाले सभी यात्रियों का निःशुल्क बीमा किया गया था और बीमा कंपनियों को प्रीमियम का भुगतान आईआरसीटीसी द्वारा किया गया था।

01.09.2018 से, ऑन-लाइन ई-टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए बीमे को पुनः वैकल्पिक बनाया गया था और यात्रियों से घटी हुई दर पर प्रति ट्रिप 0.49 रु. का प्रीमियम वसूल किया जा रहा है।

(च): वर्तमान में, आईआरसीटीसी 3 बीमा कंपनियों के माध्यम से इस बीमा सुविधा को मुहैया करा रही है।

(i) मैसर्स भारती अक्सा सामान्य बीमा कंपनी लिमिटेड

(ii) बजाज आलियांज सामान्य बीमा कंपनी लिमिटेड, और

(iii) श्रीराम सामान्य बीमा कंपनी लिमिटेड

(छ) और (ज): आईआरसीटीसी की टिकट बुकिंग वेबसाइट अर्थात www.irctc.co.in के माध्यम से "महत्वपूर्ण सूचना" सेक्शन के तहत जागरूक किया गया है जिसमें ई-टिकट यात्रियों के लिए वैकल्पिक यात्रा बीमा के बारे में सभी संगत ब्यौरे शामिल हैं।

*****

Sk